



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़
दिनांक :- 30.03.2024

**कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 97/2024 धारा 363/366/376
भादवि से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस टीम द्वारा कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 97/2024 धारा- 363/366/376 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राजा उर्फ अंबार अली पुत्र अरशद खां निवासी मो0 हाथीखाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. राजा उर्फ अंबार अली पुत्र अरशद खां निवासी मो0 हाथीखाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.03.2024 को भूसामण्डी से मुकदमा वादी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में मुकदमा वादी द्वारा दिनांक 25.03.2024 को सूचना देकर मु0अ0सं0- 97/2024 धारा- 363/366 भादवि बनाम राजा आदि 09 नफर के विरुद्ध पंजीकृत कराया था जिसके विवेचना के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को अभियुक्त राजा उर्फ अंबार अली पुत्र अरशद खां निवासी मो0 हाथीखाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजा उर्फ अंबार अली उपरोक्त:-

1- मु0अ0सं0- 97/2024 धारा- 363/366/376 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मो0 सरताज
2. का0 कुशल पाल

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि०-30.03.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त चन्द्रवीर सिंह पुत्र रामप्रकाश निवासी अरसानी थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद । मु०अ०सं०-237/1994 वाद स०- 487ए/1997 धारा- 147,148,149,323,304,308 भा०द०वि० थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 30.03.2024 को मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभि० को दोषसिद्ध कर 06 वर्ष का कारावास व 65 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी श्रीमती दीपिका कटियार



कोर्ट मोहरीर हे०का० कमल सिंह



पैरोकार हे०का० श्याम सिंह

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. सोनपाल पुत्र तौले 2. रामप्रताप पुत्र रामकिशन निवासी गण चपरा थाना अमृतपुर जनपद फर्रु० 3. भूरा पुत्र फूलन निवासी आसमपुर थाना अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद मु०अ०सं०- 04/1998 वाद स०- 784/2000 धारा- 364 भा०द०वि० थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 30.03.2024 को मा० न्यायालय डी०जे० कोर्ट जनपद फर्रु० द्वारा अभि०गण प्रत्येक को दोषसिद्ध कर 10-10 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



डीजीसी श्री सुदेश प्रताप



कोर्ट मोहर्रिर का० जसवीर सिंह



पैरोकार का० श्रीकृष्ण

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना जहानगंज

दि०-30.03.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अमित कुमार पुत्र अनन्तराम निवासी बिटैल थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०-293/2018 वाद स०- 345/2018 धारा- 306/323/498ए/304बी भा०द०वि० व 3/4 डीपी एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 30.03.2024 को मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभि० को दोषसिद्ध कर 05 वर्ष का कारावास व 6200 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री पंकज कुमार



कोर्ट मोहरीर हे०का० सुनील कुमार



पैरोकार हे०का० शैलेन्द्र कुमार





 **GPS Map Camera**



Singhirampur, Uttar Pradesh, India
6MPF+HW9, Singhirampur, Uttar Pradesh 209724, India
Lat 27.236356°
Long 79.674495°
30/03/24 03:34 PM GMT +05:30